NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/84/21 Date : 5.5.2021

श्रीमान प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :— कोविड के इलाज हेतु सेवारत/रिटायर्ड रेल कर्मचारी एवं उनके आश्रितो द्वारा Private/Non Empanelled चिकित्सालय में किये गये वास्तविक खर्च का भुगतान किया जाना।

महोदय,

NCRES को अवगत कराना है कि कोविड–19 का दूसरा चरण बेहद संक्रामक एवं खतरनाक है जिसके कारण देश की बड़ी जनसंख्या कोराना वायरस की चपेट में है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रयागराज मण्डल, झांसी मण्डल और आगरा मण्डल में ढेर सारे कोविड मरीजो को रेलवे अस्पताल तक में बेड नही मिल रहा है एवं रेलवे के अन्य Empanelled हास्पिटल द्वारा मरीजो के इलाज से इन्कार कर दिया जा रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में कोविड–19 से पीड़ित बड़ी संख्या में कर्मचारी/रिटायर्ड कर्मचारी एवं उनके आश्रित, जिन्होंने प्राईवेट अस्पतालो में भारी खर्च कर स्वयं अथवा अपने आश्रितो का इलाज कराया है और इस सम्बन्ध में NCRES का मानना है कि महामारी की स्थिति में कर्मचारी/रिटायर्ड कर्मचारी द्वारा किये गये वास्तविक खर्च का भुगतान किया जाना चाहिये।

अतः NCRES का अनुरोध है कि ऐसे सभी कोविड–19 से पीड़ित सेवारत कर्मचारी/रिटायर्ड के द्वारा Private/Non Empanelled चिकित्सालय में कराये गये इलाज में हुये वास्तविक खर्च का Reimbursement हेतु उचित आदेश करने का कष्ट करें।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री